कामगार दुर्घटना मुआवजा
मोटर दुर्घटना मुआवजा

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

कामगार दुर्घटना मुआवजा

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

कामगार दुर्घटना मुआवजा

सूरज एक खेतिहर मजदूर है। थ्रेशर पर काम करते समय उसकी बाजू कट गई। रजनी एस्बेसटेस के कारखाने में काम करती है। उसे फेफड़ों का कैंसर हो गया।

जमीला का पति जावेद एक भवन निर्माण पर मजदूरी करता था। एक दिन काम करते हुए वह काफी ऊँचाई से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।

राम प्रसाद एक खेत पर ट्यूबवेल की देखभाल का काम करता था। एक दिन, बिजली लगने से उसकी मृत्यु हो गई।

एक कानून है जिसके अनुसार, ऐसे लोगों को या उनके वारिसों को मुआवजा मिलना चाहिये। इस कानून का नाम है **''कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923''।**

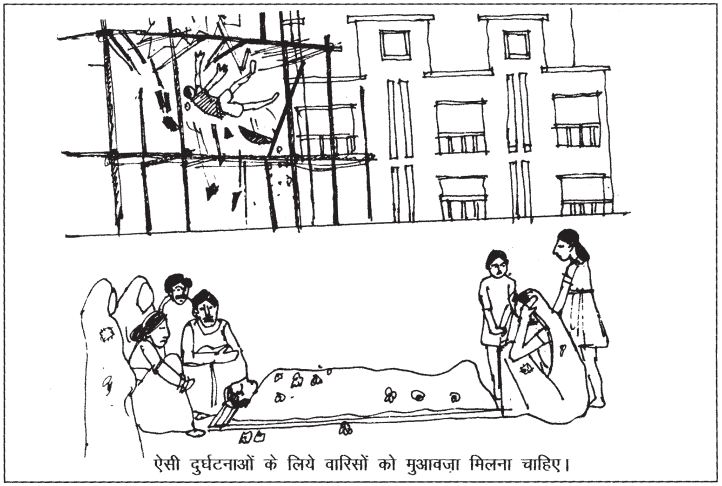

ऐसी दुर्घटनाओं के लिये वारिसों को मुआवज़ा मिलना चाहिए।

यह कानून क्या कहता है ?

यह कानून कहता है कि किसी कामगार को अपने मालिक से मुआवजे के रूप में पैसे मिलने चाहियें, अगर :

- *उसे अपने काम के दौरान किसी दुर्घटना से कोई स्थायी या अस्थायी चोट आई हो।*
- *उसे अपने काम के कारण कोई बीमारी लग गई हो।*

यह मुआवजा इसलिये दिया जाता है क्योंकि दुर्घटना या बीमारी के कारण कामगार की कमाने की शक्ति कम जाती है या खत्म हो जाती है। मुआवजे को प्रतिकर या हर्जाना भी कहते हैं।

यदि किसी कामगार की चोट या बीमारी के कारण मृत्यु हो जाये, तो क्या होगा ?

यदि इन कारणों से किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए तो उसके वारिसों को मुआवजा मिलना चाहिये।

कामगार के वारिस कौन होंगे ?

उसके वारिस होंगे :

- उसकी विधवा
- नाबालिग लड़के (यानि 18 साल से कम उम्र के)
- अविवाहित लड़कियाँ (कुँवारी या

मौत हो जाये तो मुआवज़ा काम करने वाले के रिश्तेदारों को मिलेगा।

विधवा)

- विधवा माँ
- अपाहिज लड़का या लड़की, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग
- किसी महिला मजदूर की मृत्यु होने पर, उसके पति व बच्चों को मुआवजा मिलेगा, यदि वे उसकी कमाई पर निर्भर थे तो।

अगर रिश्तेदार भी मजदूर की कमाई पर निर्भर थे, तो उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। ये रिश्तेदार हैं :

- पिता
- नाजायज बच्चे
- नाबालिग भाई
- अविवाहित बहन
- विधवा नाबालिग बहन
- विधवा बहू
- गुजरे हुए लड़के के नाबालिग बच्चे
- गुजरी हुई लड़की के नाबालिग बच्चे (यदि पिता न हो तो)
- दादा–दादी, यदि मजदूर के माँ–बाप न हों तो।

इस कानून में किन कामगारों को मुआवजा मिल सकता है?

कामगारों की ऐसी कई श्रेणियाँ हैं जिन्हें मुआवजा मिलना

चाहिये। ये श्रेणियाँ इस कानून में दी गई हैं। किसी मजदूर का काम इन श्रेणियों में आता है या नहीं, यह जानने के लिये उसे किसी वकील से या कानूनी सहायता केन्द्र से सलाह लेनी चाहिये। उस क्षेत्र के 'श्रम अधिकारी', 'श्रम इन्सपैक्टर' आदि से भी सलाह ली जा सकती है।

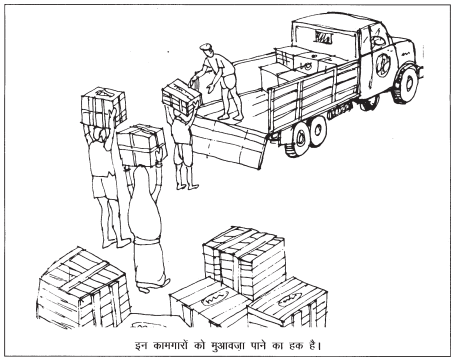

इन कामगारों को मुआवज़ा पाने का हक है।

कुछ आम कार्य जहाँ मुआवजा दिया जाना चाहिये, हैं :–

❖ *किसी वस्तु को बनाने, बदलने, सुधारने, सजाने या किसी अन्य बदलाव से इस्तेमाल बिक्री या ले जाने के लिये किसी ऐसी जगह पर काम करना जहाँ 20 से अधिक लोग काम करते हों।*

सुशीला एक सूती कपड़े की मिल में काम करती है जहाँ 50 कामगार हैं। यदि सुशीला काम करते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाये, तो उसे मुआवजा मिलना चाहिये।

रानी का पति एक गोदाम में पटाखे पैकबन्द करने का काम

करता था। एक दिन गोदाम में आग लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। रानी और उसके बच्चों को गोदाम के मालिक से मुआवजा मिला।

❖ *किसी लिफ्ट या अन्य वाहन पर सामान चढ़ाने व उतारने का काम या देखभाल का काम।*

रामचन्दर ट्रकों पर सामान चढ़ाने व उतारने का काम करता है। एक दिन उसके ऊपर एक पेटी गिर गई और उसे गम्भीर चोट लगी। उसके नियोक्ता यानि मालिक ने उसे मुआवजा दिया।

❖ *फैक्टरियों, खानों, रेल, डाक–तार का काम।*

सीताबाई एक कोयले की खान में काम करती है। एक दुर्घटना में उसे चोट लग गई मालिक ने उसे मुआवजा दिया।

❖ *इमारत, बाँध, सड़क, पुल, सुरंग इत्यादि को बनाने, गिराने या देखभाल का काम।*

जानकी एक बांधकाम पर मजदूरी करती है। उसके सिर पर ईंट गिर गई और वह घायल हो गई। वह 15 दिन तक काम नहीं कर सकी। उसके मालिक ने उसे मुआवजा दिया।

❖ *ट्यूबवेल की देख–रेख व सुधारने का काम।*

❖ *बिजली की देख–रेख का काम।*

❖ *ट्रैक्टर या अन्य यन्त्रों से खेती का काम।*

राधु और उसकी पत्नी किशोरी एक खेत पर काम करते हैं। खेती ट्रैक्टर से होती है और फसल की छटाई बिजली के थ्रेशर में होती है। थ्रेशर साफ करते समय राधू को चोट लग गई। मालिक ने उसे मुआवजा दिया।

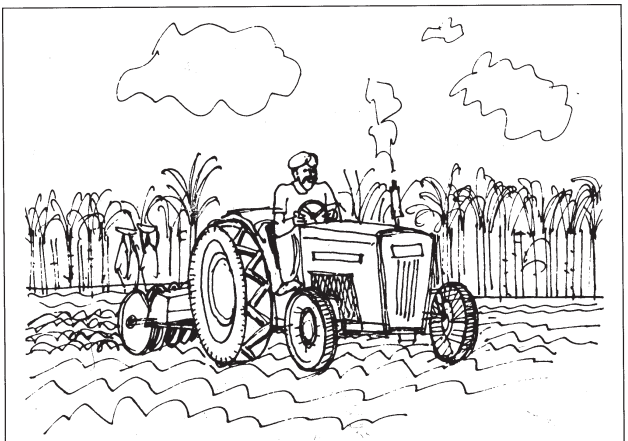

इन कामगारों को मुआवजा पाने का हक है।

क्या फसल बोने और काटने को ही खेती कहेंगे ?

यह सच है कि अधिकांश लोग फसल बोने और काटने को ही खेती समझते हैं, लेकिन *मुआवजा मिलने के लिए 'खेती' में पोलटरी फार्मिंग, डेरी फार्मिंग, मछली पालन वगैरह भी शामिल हैं*

आप जो काम कर रहे हो, वह इस कानून में आता है या नहीं, यह जानने के लिए अपने करीब के कानूनी सहायता केन्द्र (लीगल एड सेन्टर) या कल्याण केन्द्र पर जाओ और उनसे जानकारी और सहायता लो।

मुआवजा किस तरह की चोटों के लिये मिल सकता है ?

दुर्घटना से सम्बन्ध रखने वाली सभी चोटों के लिए मुआवजा है, जैसे अंग कट जाना, आँखों की रोशनी का चला जाना, आदि।

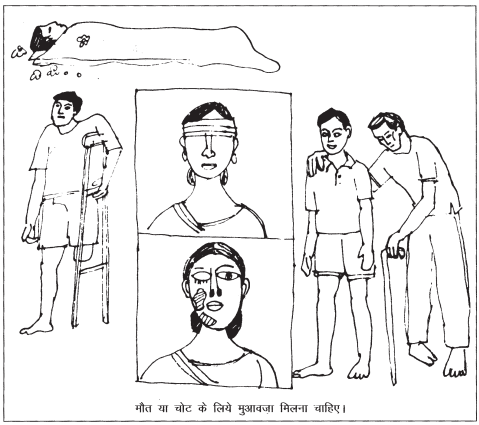

मौत या चोट के लिये मुआवजा मिलना चाहिए।

कभी–कभी किसी को ऐसी चोट आती है जिससे शरीर का कोई अंग कटता नहीं पर चोट गम्भीर होती हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को मुआवजा मिल सकता है ?

हाँ! *कई बार ऐसी चोट लगती है जिससे शरीर के किसी अंग का नुकसान नहीं होता पर व्यक्ति की कमाने की शक्ति चली जाती है या कम हो जाती है। तब भी व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा।* उदाहरण के लिये, किसी व्यक्ति का चेहरा बहुत खराब हो जाए तो उसे काम मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह यदि किसी को लकवा मार जाता है तो वह कामकाज नहीं कर सकता। इसलिये ऐसे लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि

अब उन्हें कहीं दूसरी जगह काम पर नहीं रखा जाएगा।

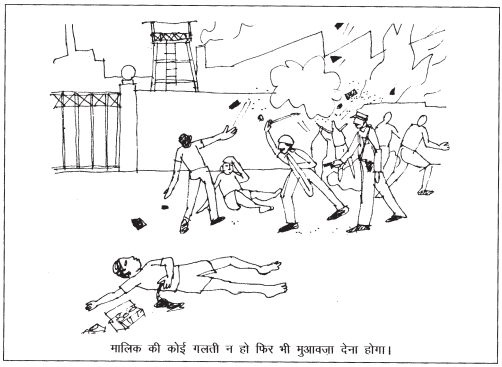
मालिक की कोई गलती न हो फिर भी मुआवजा देना होगा।

यदि मालिक के काम के लिए कामगार काम की जगह से बाहर जाता है और वहाँ उसे चोट लगती है तो क्या उसे मुआवजा मिल सकता है ?

हाँ! *यदि कोई कामगार अपनी ड्यूटी करते समय कोई भी काम कर रहा हो तो वह चाहे कहीं भी हो, चोट लगने पर उसे मुआवजा मिलेगा।* वह अगर काम पर आ रहा हो या काम पर से जा रहा हो और कोई दुर्घटना हो जाये तो वह भी मुआवजा पाने का हकदार होगा।

किसी कामगार को एक काम के लिए रखा गया हो पर चोट उसे कोई दूसरा काम करते समय लगी हो, तो क्या उसे मुआवजा पाने का हक होगा ?

हाँ! *यदि उसे ऐसे काम के लिए रखा गया हो जो इस कानून में शामिल हो तो चोट लगने के समय वह कोई दूसरा काम*

भी कर रहा हो तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि चोट लगने के समय, वह वही काम कर रहा था जो उससे करवाया जा रहा था। इसलिए वह मुआवजा पाने का हकदार होगा।

यदि मजदूर को किसी ऐसे व्यक्ति की गलती के कारण चोट लगती है जो उसके मालिक का नौकर भी नहीं है, तो क्या तब भी उसे मुआवजा मिलेगा ?

हाँ! *वह मुआवजा पाने का हकदार होगा चाहे उसे मालिक की गलती के कारण चोट लगी हो या अन्य किसी कारण से। हाँ, यह जरूरी है कि उस समय वह मालिक के लिए ही काम कर रहा था।*

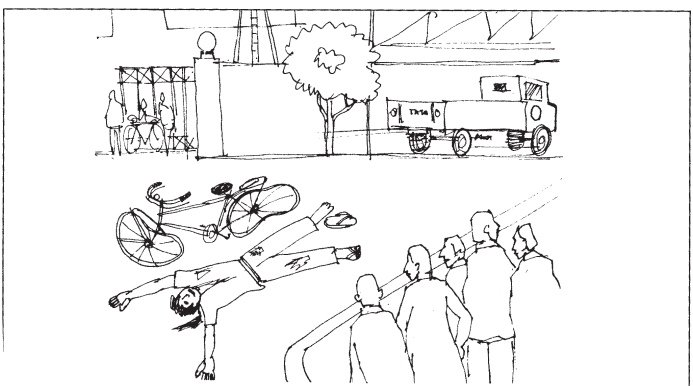

काम की जगह के बाहर दुर्घटना हो, तो भी मुआवज़ा देना होगा।

एक लड़का गोदाम में चाय देने का काम करता था। गोदाम में काम करने वाले व्यक्ति के लिए वह चाय ले जा रहा था। पुलिस वाले गोदाम के बाहर एक भीड़ पर काबू पाने की

कोशिश कर रहे थे। सिपाही की एक गोली उसे लगी और वह लड़का मर गया। मालिक की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मालिक को उस लड़के के परिवार को मुआवजा देना पड़ा।

काम की जगह से बाहर यदि किसी ऐसी जगह पर चोट लगे जिस पर मालिक का कोई भी बस न चलता हो, तब भी क्या मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा ?

हाँ! मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा, चाहे स्थिति उसके काबू में हो या नहीं। *मुआवजा देने की जिम्मेदारी मालिक की होती है, क्योंकि उस समय आप मालिक का काम कर रहे थे।* यदि ऐसा न करते तो तुम्हें खतरे का सामना भी न करना पड़ता।

एक काम करने वाला पक्की सड़क का प्रयोग न करके कच्ची सड़क से काम पर जाता था। एक साँप ने उसे डंस लिया और वह मर गया। मालिक को मुआवजा देना पड़ा। इसमें मालिक की कोई गलती नहीं थी। श्रमिक पक्की सड़क का इस्तेमाल न करके कच्ची सड़क का इस्तेमाल कर रहा था। लोग समय बचाने के लिए कच्ची सड़क इस्तेमाल करते हैं, यह जानकारी मालिक को थी। ऐसे में मालिक पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी थी।

कई मालिक मजदूरों को ठेकेदारों के जरिये रखते हैं। क्या ठेके पर रखे गये मजदूरों को मालिक से मुआवजा मिल सकता है ?

हाँ! मालिक अपनी देनदारी से नहीं बच सकता। *ठेकेदार को या मालिक को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।* यह काम करने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किससे मुआवजा मांगता है।

कभी चोट तीन या चार दिन में ठीक हो जाती है। श्रमिक ठीक होकर पहले जैसे ही काम करने जा सकता है। ऐसी दशा में भी क्या मुआवजा मिल सकता है ?

यदि तीन दिन के बाद कामगार काम करने लायक हो जाता है तो वह मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा। हाँ, *काम करने या ठीक होने में तीन दिन से अधिक समय लगता है तो कामगार मुआवजा पाने का हकदार होगा।*

ऐसा हो सकता है कि दुर्घटना श्रमिक की लापरवाही के कारण या शराब के नशे में होने के कारण हुई हो। ऐसे में भी क्या मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा ?

इस प्रश्न का उत्तर दो भागों में दे सकते हैं :

- *दुर्घटना से यदि मौत हो जाती है* तो मालिक को मुआवजा देना ही होगा, चाहे किसी की भी गलती या लापरवाही हो
- *किसी की या अपनी गलती या लापरवाही से दुर्घटना हुई हो, पर मौत न हुई हो, तब भी मालिक को मुआवजा देना होगा।* अधिकतर दुर्घटनाएँ किसी न किसी की लापरवाही

से ही होती हैं। ऐसी स्थिति में यदि श्रमिक को मुआवजा न दिया जाये, तो इस कानून का कोई मायने ही नहीं रहेगा।

लेकिन, अगर दुर्घटना से *केवल चोट* लगी हो, मृत्यु न हुई हो तो, कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें मालिक को मुआवजा नहीं देना होगा। ये हैं :–

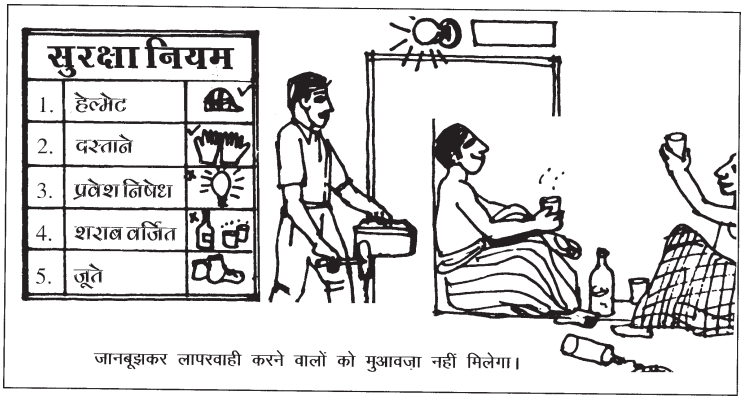

जानबूझकर लापरवाही करने वालों को मुआवज़ा नहीं मिलेगा।

- *शराब के नशे के कारण या किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव के कारण दुर्घटना हुई* तो,
- काम करने वालों की *सुरक्षा के लिये कोई स्पष्ट आदेश हो और जान–बूझकर उसका पालन न करने से* कोई दुर्घटना हो जाये,
- *सुरक्षा के लिए कोई साज–सामान दिया गया हो और कामगार उसका इस्तेमाल न करें* और दुर्घटना हो जाये।

किसी को चोट लगे तो उसे कितना मुआवजा मिल सकता है?

मुआवजा कितना मिलेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। ये हैं :–

❖ **चोट कैसी है :**

मुआवजा कितना मिलेगा यह चोट पर निर्भर करता है। अगर चोट गम्भीर होगी तो मुआवजा ज्यादा मिलेगा।

यदि किसी के दोनों हाथ कट जाए तो वह कुछ भी काम करने के योग्य नहीं रहता। इसलिये उसे मुआवजा ज्यादा मिलेगा। यदि एक हाथ का नुकसान होता है तो मुआवजा उससे कम मिलेगा। इसी प्रकार से यदि किसी की दोनों आँखें चली जाती हैं, वह कुछ भी काम करने योग्य नहीं रहता। लेकिन अगर एक आँख का नुकसान होता है तो काफी काम किया जा सकता है। अगर शरीर के छोटे अंग का नुकसान होता है, जैसे एक उँगली या अँगूठा कट जाना, तो मुआवजा बहुत कम मिलेगा क्योंकि कामगार तब भी अधिकांश काम पहले की तरह कर सकता है।

❖ **कामगार की कमाई :**

मुआवजे की रकम इस पर निर्भर करेगी कि चोट लगने के समय वह व्यक्ति कितना कमाता था। अगर उसकी कमाई ज्यादा थी तो उसको ज्यादा मुआवजा मिलेगा क्योंकि उसका ज्यादा नुकसान हुआ है।

❖ **कामगार की उम्र :**

अगर काम करने वाले की उम्र कम होगी, तो उसे ज्यादा मुआवजा मिलेगा क्योंकि उसकी ज्यादा लम्बे समय की कमाई का नुकसान हुआ है। किसी ज्यादा उम्र के व्यक्ति की कमाने की शक्ति कम समय के लिये जाती है इसलिए उसे कम मुआवजा मिलेगा।

वे किस प्रकार की बीमारियाँ हैं, जिनके लगने पर मुआवजा मिल सकता है ?

जिन बीमारियों के होने से मुआवजा मिल सकता है, उनकी एक सूची इस कानून में दी गयी है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि विशेष कामों में लगे हुए व्यक्तियों को लग जाती हैं। उदाहरण के लिये, कुछ पदार्थों के काम से कैंसर, टी.बी., दमा जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। कुछ कामों के कारण मोतियाबिंद हो जाता है, या तेज आवाज के वातावरण में काम करने से सुनने की शक्ति कम हो जाती है। इस तरह की कोई बीमारी यदि आपको लग जाती है तो कानूनी सहायता लो और मालूम करो कि आपको लगी हुई बीमारी के लिये मुआवजा मिल सकता है या नहीं। संभावना यह है कि वह सूची में शामिल होगी। इसलिए मालूम करके मुआवजे की अर्जी दो।

ऐसा हो सकता है, कि एक व्यक्ति को काम छोड़ने के बाद बीमारी लगती है। पता चलता है कि उसे ऐसी बीमारी लगी है, जिसके लिए उसे मुआवजा मिल सकता है। लेकिन अब वह मालिक की नौकरी में तो है नहीं, तो उसका क्या होगा?

यदि नौकरी छोड़ने के दो वर्ष के अन्दर ही कामगार को

बीमारी लग जाती है तो मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। यदि दो साल के बाद बीमारी लगती है तो मालिक पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी को लगे कि पहले किये काम के कारण उसे कोई बीमारी लगी है तो तुरन्त डॉक्टरी जाँच करवा कर मुआवजे की अर्जी देनी चाहिये।

अपने मालिक से मुआवजा लेने के लिए क्या करना होगा ?

मुआवजा लेने के लिए :

- दुर्घटना के तुरन्त बाद मालिक को एक *सूचना पत्र (नोटिस)* देना होगा।
- इस नोटिस में अपना *नाम, चोट का कारण, दुर्घटना की तारीख और कारण* ये सभी बातें लिखनी होंगी।
- अगर मालिक मुआवजा देने से इन्कार करें, या पर्याप्त मुआवजा न दे, तो *आयुक्त (कमिश्नर) को एक अर्जी देनी होगी।* कमिश्नर सरकार द्वारा, मुआवजे के मामले तय करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं। उनका पता मालूम करके अर्जी देनी होगी।
- यह काम *दुर्घटना के दो साल के अन्दर* या *कामगार की मौत के दो साल के अन्दर होना चाहिये।* उसके बाद यह अर्जी मंजूर नहीं की जाएगी। हाँ, अगर कोई विशेष कारण बताये जाये,

किसी से मुआवज़े की अर्ज़ी लिखवाकर भेजिए।

तो कभी–कभी दो साल के बाद भी अर्जी ले ली जाती है। बेहतर यही होगा कि नोटिस और अर्जी तुरन्त दे दिये जायें।

- यदि चोट किसी *महिला कामगार* को लगती है और उसे मुआवजे की रकम इकटठी दी जा रही हो, तो वह रकम *कमिश्नर के द्वारा* ही दी जा सकती है। *नाबालिग (यानि 18 साल से कम उम्र के) काम करने वाले* को भी मुआवजे की रकम *कमिश्नर के द्वारा* ही दी जा सकती है।
- *अगर कामगार की मृत्यु हुई हो तो भी मालिक उसके रिश्तेदारों को सीधा मुआवजा नहीं दे सकता।* उसे कमिश्नर के पास मुआवजे की रकम जमा करानी होगी। फिर कमिश्नर मरे हुए कामगार के रिश्तेदारों को पैसा देंगे।

कई बार मालिक, मजदूर की मजबूरी का फायदा उठा कर उससे लिखवा लेते हैं कि कोई दुर्घटना होने पर वह मालिक को किसी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

यदि किसी कामगार ने चोट/बीमारी के लिए मुआवजा न लेने के लिए मालिक के साथ समझौता किया हो, तो ऐसा समझौता मान्य नहीं है। कामगार को फिर भी मुआवजा मिलने का हक होगा।

जब काम के दौरान कोई दुर्घटना घटती है, तो कुछ जरूरी बातें याद रखनी चाहिये :

- अपनी डॉक्टरी जांच अवश्य करवायें। हो सके तो सरकारी डॉक्टर से करवायें। डॉक्टर की रिपोर्ट की कॉपी लें। मालिक भी आपकी डॉक्टरी जांच करवायेंगे। इसे करवा

लेना चाहिये।

- पास के थाने में जाकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई. आर.) दर्ज करें। इस रिपोर्ट की भी कॉपी लें।
- अगर आप थाने अपने आप नहीं जा सकते तो किसी को भेजकर प्रथम सूचना रिपोर्ट जरूर लिखवायें।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना की सारी जानकारी दें – दुर्घटना का कारण, स्थान और समय।
- डॉक्टरी रिपोर्ट की कॉपी और एफ.आई.आर. की कॉपी कमिश्नर के आगे चोट साबित करने के काम आयेंगे।
- मुआवजा लेने के लिए दुर्घटना के गवाह (जो लोग उस समय मौजूद थे) और डॉक्टरी रिपोर्ट बहुत जरूरी है।

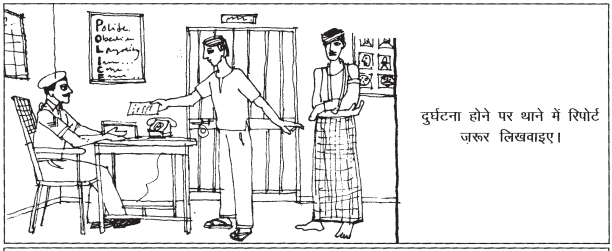

मुआवजा मासिक वेतन, चोट/बीमारी/मृत्यु तथा श्रमिक की आयु पर निर्भर करता है। परन्तु इस मुआवजे की रकम

– **मृत्यु के मामले में कम से कम 80,000/–**

रूपये तथा

– **पूरी तरह तथा स्थायी अपंगता के मामले में कम से कम 90,000/– रूपये तो होनी ही चाहिये।**

यह मुआवजा कितने दिन में मिल जाना चाहिये इसकी समय सीमा भी कानून में दी गई है।

मृत्यु के मामलों मुआवजे की रकम के अलावा, मालिक को बीस हजार रूपये श्रम कमिश्नर के पास जमा करने पड़ेंगे। यह रकम श्रमिक पर आश्रित व्यक्तियों में सबसे बड़े सदस्य को मिलेगी।

कमिश्नर की अर्जी में से सब बातें अवश्य लिखें :

फार्म – एफ

कर्मचार द्वारा मुआवजे के लिये प्रार्थना–पत्र

(लेबर कमिशनर के सामने)

..... निवासी ..... (प्रार्थी)

बनाम

..... निवासी ..... (विरोधी पत्र)

यह प्रार्थना की जाती है कि –

1. प्रार्थी, जो कि विरोधी पक्ष द्वारा कार्यरत है, दिनांक ..... 200 ..... को काम करने के दौरान दुर्घटना वश शारीरिक क्षति पहुँची। चोट लगने का कारण है – .....
2. प्रार्थी को निम्नलिखित चोट लगी है – .....
3. प्रार्थी की मासिक आय रू ..... (प्रार्थी की उम्र 15 साल से ज्यादा/कम है)
4. क. दुर्घटना का नोटिस दिनांक ..... को दिया गया।
   ख. दुर्घटना का नोटिस जल्द से जल्द दिया गया।
   ग. दुर्घटना का नोटिस जल्दी न देने का कारण है .....
5. प्रार्थी को निम्नलिखित मुआवजा पाने का अधिकार है –
   क. दिनांक ..... 200 ..... से ..... मासिक आय का आधा हिस्सा
   ख. ..... के बराबर रकम।
6. प्रार्थी ने समझौते के लिए निम्नलिखित प्रयास किए ..... परन्तु वे सभी विफल हुए क्योंकि ..... इसलिए आपसे प्रार्थना है कि निम्नलिखित दिए गए विवाद से संबंधित प्रश्नों पर गौर करें .....
   क. क्या प्रार्थी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में दिए गए कर्म चारी की परिभाषा में आता है।
   ख. क्या दुर्घटना काम करने के दौरान हुई।
   ग. क्या मांगे गये मुआवजे की राशि या उसमें से कुछ हिस्सा बाकी है।
   घ. क्या विरोधी पक्ष मुआवजा देने का जिम्मेदार है।
   ङ. इत्यादि (आवश्यकतानुसार)।

दिनांक ..... 200 ..... प्रार्थी हस्ताक्षर

मोटर दुर्घटना मुआवजा

मोटर दुर्घटना मुआवजा

मदनजी रामपुर गाँव के प्रधान हैं। पहले उनके गाँव में सप्ताह में केवल दो बार बस आया करती थी। उनके गाँव के लोग बहुत कम ही शहर को जाते थे। अब शहर का क्षेत्र काफी दूर तक फैल गया है और उनके गाँव से केवल 5 किलोमीटर ही दूर है। बहुत से लड़के और लड़कियाँ शहर में पढ़ने और काम करने जाते हैं। मदनजी की बेटी दूसरे राज्य में रहती है और वे अपनी पत्नी के साथ अधिकतर अपनी बेटी को मिलने जाते हैं। पहले उन्हें वहाँ पहुँचने में दो दिन लग जाया करते थे। लेकिन अब उन्हें बस से केवल 8 घंटे ही लगते हैं। गाँव के कुछ लोगों ने स्कूटर और मोटर साइकिलें भी खरीद ली हैं। लेकिन, सुविधा के साथ–साथ गाँव के बहुत से लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में चोट भी पहुँची है। गाँव के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि इस स्थिति में क्या किया जाए।

जब कभी कोई मोटर दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए ?

- सबसे पहले पीड़ित को जल्द से जल्द डॉक्टरी सहायता यानि चिकित्सा देनी चाहिए। जिस वाहन के द्वारा दुर्घटना हुई हो उसके चालक को चाहिए कि वह उसे चिकित्सक के पास या अस्पताल में अवश्य ले जाए। डॉक्टर व अस्पताल वालों को चाहिए कि वे तुरन्त उसका उपचार करें। लिखा

पढ़ी बाद में करें। **यह कानूनन जरूरी है।**

- जितनी जल्दी हो सके थाने में **शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)** दर्ज करानी चाहिए। इसकी नकल जरूर लें। अगर पीड़ित व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से ऐसा कर सकता है। चालक को भी दुर्घटना की सूचना पुलिस को अवश्य देनी चाहिए।

- चालक ने दण्डनीय अपराध किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज हो जाने के बाद चालक के खिलाफ **फौजदारी मुकदमा** भी चलाया जाएगा।

- पीड़ित व्यक्ति को चालक द्वारा कोई हानि या अन्य क्षति भी पहुँच सकती है। इस हानि व क्षति के लिए पीड़ित व्यक्ति पैसे के रूप में **मुआवजा** पाने का अधिकारी होता है। इसके लिए पीड़ित को मोटर दुर्घटनाओं के लिये स्थापित की गई विशेष अदालत में दावा डालना होगा। इसे **''मोटर ऐक्सीडेंट ट्रायब्यूनल''** कहते हैं। आमतौर पर यह ट्रायब्यूनल वहीं स्थित होती है जहाँ जिला अदालतें होती हैं।

ये सब बातें **मोटर वाहन अधिनियम 1939** में दी गई हैं।

मुआवजा क्या है ?

जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की गलती के

कारण किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचती है तो उस क्षतिपूर्ति के लिए उसे जो धनराशि दी जाती है उसे मुआवजा कहते हैं। मोटर दुर्घटना से कोई चोट लगने पर, मृत्यु हो जाने पर या सम्पति को कोई हानि पहुँचने पर दूसरे पक्ष द्वारा धनराशि दी जाती है।

पीड़ित को कितना मुआवजा मिलेगा ?

मुआवजे की राशि कई बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि पीड़ित व्यक्ति को कितनी चोट पहुँची, उसकी आयु कितनी थी इत्यादि। इस कानून में केवल वे दुर्घटनायें आती हैं जो किसी मोटर वाहन के प्रयोग से होती हैं।

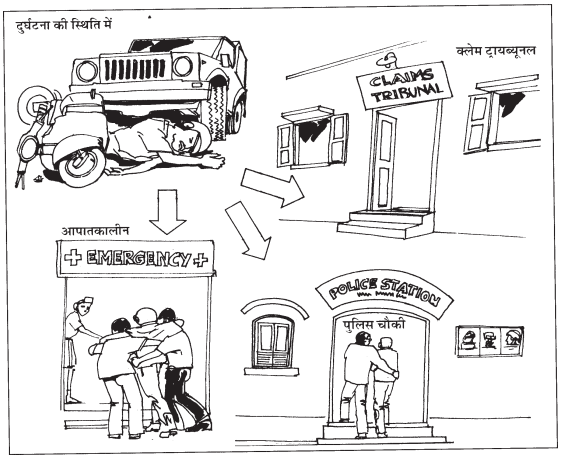

मोटर वाहन किसे कहते हैं ?

जो वाहन **इंजन से चलता है** और जिसका **सड़क पर प्रयोग** किया जाता है उसे **मोटर वाहन** कहते हैं। मोटर कार,

इंजन से चलने वाली रिक्शा (ऑटोरिक्शा) दुपहिया स्कूटर, ट्रक, बसें और जीप मोटर वाहन हैं। साइकिल, बैलगाड़ी, टांगा और हाथ से खींचने वाली साइकिल रिक्शा मोटर वाहन नहीं है।

क्या ट्रैक्टर मोटर वाहन है ?

जब ट्रैक्टर को सड़क पर चलाया जा रहा हो केवल तभी उसे मोटर वाहन कहा जा सकता है। जब उसे खेतों में चलाया जा रहा हो तो उसे मोटर वाहन नहीं माना जाएगा। उस दौरान हुई दुर्घटना का मुआवजा इस कानून में नहीं मिल सकता।

संतोष का भाई एक फैक्टरी में काम करता है। फैक्टरी के अन्दर ही सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले एक मोटर से चलने वाले ठेले से टक्कर खाकर उसे चोट लगी। क्या उसे इस कानून में मुआवजा मिल सकता है ?

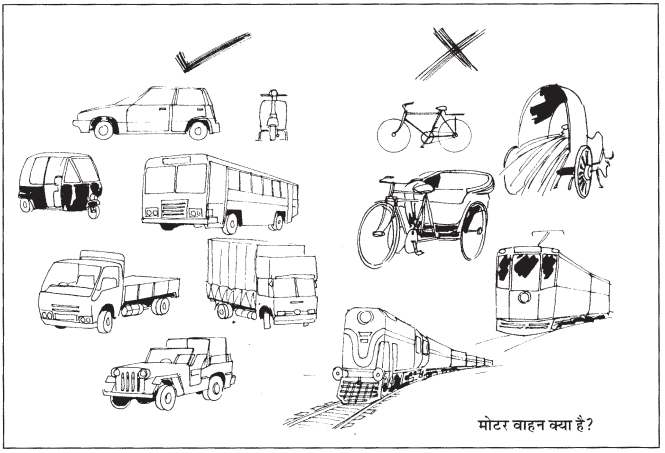

नहीं मोटर से चलने वाले ऐसे ठेले मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि उनका प्रयोग केवल फैक्टरी के

अन्दर ही किया जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो फैक्टरी के अन्दर या किसी चारदीवारी के अन्दर प्रयोग में लाई जाती है, मोटर वाहन नहीं कहलाती। ऐसी कोई भी चीज जो स्थिर पटरी पर चलती है वह मोटर वाहन नहीं कहलाती। ट्रामगाड़ी मोटर वाहन नहीं है।

अशरफ साइकिल पर जा रहा था। एक मोड़ पर बैलगाड़ी ने अशरफ को टक्कर मार दी। अशरफ को गम्भीर रूप से चोट लगी। उसकी दाहिनी आँख पूर्ण रूप से घायल हो गई।

बैलगाड़ी जैसे वाहनों से लगी चोट के लिए कोई व्यक्ति साधारण सिविल (दीवानी) अदालत में दावा कर सकता है लेकिन मोटर वाहनों की विशेष अदालत में नहीं।

पार्थो गाँव से अपनी साइकिल पर सिनेमा देखने जा रहा था। एक ट्राम और एक ट्रक की टक्कर हो जाने से वह गम्भीर रूप से घायल हो गया।

ट्राम और ट्रक की टक्कर के कारण घायल हो जाने पर क्या पार्थो को मुआवजा मिलेगा ?

हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि दुर्घटना की लपेट में आये सभी वाहन मोटर वाहन ही हों। उनमें से कम से कम एक वाहन मोटर वाहन होना काफी है।

पटेल अपने गाँव से एक बस से उज्जैन जा रहा था। एक

स्टॉप पर वह अपने सामान की जाँच करना चाहता था इसलिए वह बस के पीछे लगी हुई सीढ़ी पर चढ़ गया। सीढ़ी टूट गई और वह गिर गया। उसकी खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई। क्या एक खड़ी हुई बस की सीढ़ी से गिर जाने के कारण इसे मुआवजा मिल सकता है ?

हाँ। पटेल को मुआवजा मिल सकता है। दुर्घटना के समय बस खड़ी थी, फिर भी वह प्रयोग में ही थी।

मुआवजा

मुआवजा वह धनराशि है जो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की गलती के कारण होने वाली हानि या क्षतिपूर्ति (नुकसान भरपाई) के लिए दी जाती है।

कितना मुआवजा दिया जाता है ?

मुआवजे की कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है। मुआवजा प्रत्येक केस पर निर्भर करता है। मुआवजे की राशि तय करने के लिए अदालतें बहुत सी बातों को ध्यान में रखती हैं।

❖ **असावधानी** – यानि, किसकी गलती थी।

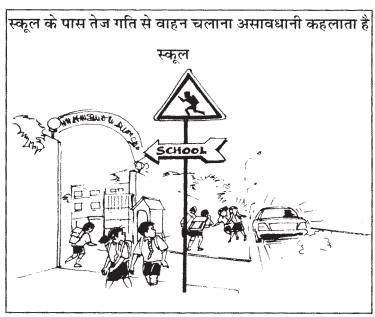

सड़क पर वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह ध्यान से वाहन चलाये और दूसरों

को किसी प्रकार से कोई हानि या क्षति न पहुँचाये। अगर चालक ने असावधानी या लापरवाही से गाड़ी चलाई है और उसके कारण किसी को कोई क्षति पहुँचाई है तो चालक को ही उसकी भरपाई भी करनी होगी।

मुआवजा पाने के लिए चालक की असावधानी को साबित करना बहुत आवश्यक है। लेकिन किसी दुर्घटना से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई स्थाई रूप से अयोग्य हो जाता है तो उसे चालक की असावधानी साबित नहीं करनी पड़ती। ऐसे में मुआवजे की एक निश्चित राशि अवश्य मिलती है।

एक 6 वर्षीय लड़का जब सड़क पार कर रहा था तो एक लॉरी ने उसे मारकर गिरा दिया। दूर से लॉरी का चालक यह देख सकता था कि छोटे लड़कों का एक झुण्ड सड़क के किनारे खड़ा है। एक साधारण व्यक्ति यह सोच सकता है कि उनमें से कुछ सड़क पार करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिये उसे अपनी लॉरी की गति को कम कर लेना चाहिए था। लॉरी की गति धीमी न करके लॉरी के चालक ने असावधानी दिखाई।

एक ट्रक के चालक ने एक व्यक्ति को अपनी बायीं ओर इस तरह से बिठा लिया कि उसे उस ओर दिखाई देने में रूकावट पैदा हो रही थी। वह चौराहे पर सड़क के बायीं ओर से आने वाले एक ऑटोरिक्शा को नहीं देख सका। ट्रक ने ऑटोरिक्शा को टक्कर मारी और ऑटोरिक्शा उलट गया। ट्रक का चालक

असावधानी से गाड़ी चला रहा था इसलिये उसे पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

अगर दुर्घटना के घटित होने में पीड़ित व्यक्ति की असावधानी एवं गलती का भी हाथ रहता है तो मुआवजे की राशि कम हो जाती है। इसे **सहायक दोष** कहते हैं। जैसे, ब्रेक सही न होना, पीड़ित व्यक्ति का बस की छत पर यात्रा करना या पीड़ित व्यक्ति का यातायात सम्बन्धी बत्तियों का पालन न करना या सड़क की गलत दिशा में गाड़ी चलाना।

एक रात को एक ट्रक की एक टैक्सी के साथ टक्कर हो गई। टैक्सी में बैठे कुछ लोगों को चोट आई। बाद में यह पता लगा कि टैक्सी की ब्रेक खराब थी। यद्यपि मुख्य रूप से ट्रक वाले की गलती थी लेकिन सही ब्रेक न होने के कारण दुर्घटना होने में टैक्सी चालक का भी हाथ रहा। अगर टैक्सी की ब्रेक ठीक होती तो वह दुर्घटना को टाल सकता था। अदालत ने दोनों वाहनों को कुछ–कुछ मात्रा में दोषी ठहराया।

- **हानि,** यानि कितना नुकसान हुआ या क्षति दो प्रकार की हो सकती है।
  - शारीरिक या मानसिक
  - सम्पति से संबंधित

हर एक मुकदमें में सभी बातें मौजूद हों ऐसा जरूरी नहीं

है। सभी श्रेणियों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए अदालतें मुआवजे की कुल राशि तय करती हैं।

- **शारीरिक या मानसिक क्षति पीड़ित व्यक्ति की वर्तमान एवं भविष्य में कमाने की क्षमता में कमी। यह कई बातों पर निर्भर करता है :**
- दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को **किस प्रकार की चोट** पहुँची है।

अगर किसी व्यक्ति के पैर की छोटी अँगुली कट जाती है तो उसे उस व्यक्ति की तुलना में कम पैसा मिलेगा जिसका पूरा हाथ ही कट गया हो। हाथ कट जाने से काम करने की और कमाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है जबकि पैर की अँगुली कट जाने पर ऐसा नहीं होता।

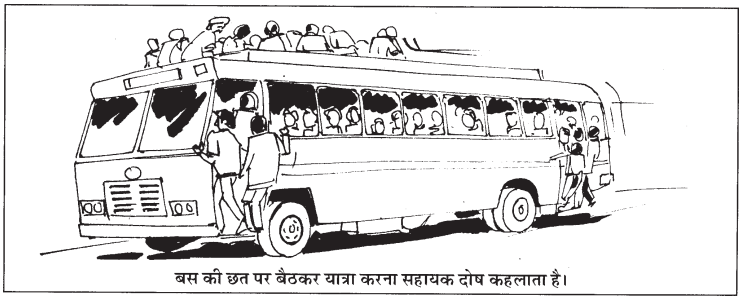

बस की छत पर बैठकर यात्रा करना सहायक दोष कहलाता है।

- **पीड़ित व्यक्ति की आयु**

अगर किसी कम आयु के व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसे कोई क्षति पहुँचती है तो उस किसी अधिक आयु वाले व्यक्ति की

अपेक्षा अधिक मुआवजा मिलता है। कम आयु का व्यक्ति किसी अधिक आयु के व्यक्ति की तुलना में अधिक वर्ष तक काम कर सकता है और उसकी कमाई की अधिक हानि होती है।

❖ पीड़ित व्यक्ति की आय

मुआवजे की राशि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस व्यक्ति का वेतन कितना था। कम वेतन पाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति को अधिक मुआवजा मिलेगा। अगर किसी डॉक्टर और श्रमिक को एक ही प्रकार की चोट लगती है तो डॉक्टर को श्रमिक की तुलना में अधिक मुआवजा मिलेगा। अगर पीड़ित व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल नहीं होता या उसकी मृत्यु नहीं होती तो वह कितने वर्ष तक काम करता, उन वर्षों को गिन लिया जाता है। वर्तमान क्षति को इन वर्षों से गुणा करके मुआवजे की राशि तय की जाती है।

वह दुर्घटना नहीं हुई होती तो वह आसानी से अगले 30 वर्षों तक अपना ऑटोरिक्शा चलाता रहता। इस प्रकार उसकी वार्षिक आय 12,000/– रूपयों को 30 वर्षों से गुणा करके उसके मुआवजे की रकम तय होगी।

❖ पीड़ित या मरने वाले व्यक्ति के ऊपर कितने लोग निर्भर करते हैं ?

अगर पीड़ित व्यक्ति की कमाई पर कुछ अन्य लोग भी निर्भर करते हैं तो उसको मिलने वाला मुआवजा अधिक होगा।

जिस पर निर्भर करने वाला कोई नहीं है उसे मुआवजा कम मिलेगा।

एक मोटरगाड़ी की दुर्घटना में नलिनी के पति की मृत्यु हो जाती है। नलिनी एक अस्पताल में डॉक्टर है। वह अपने पति की आय पर निर्भर नहीं थी। उसे निर्भरता के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा लेकिन उसे सामान्य क्षति और चिकित्सा सम्बन्धी खर्चे के लिए पैसा मिलेगा।

जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जो कुछ नहीं कमाता और न ही उस पर कोई निर्भर है, तो क्या मुआवजा मिलेगा ?

हाँ, मुआवजा मिलेगा। क्योंकि अगर वह बच्चा जीवित रहता तो उसके माता–पिता जितने समय जीवित रहते उस पर निर्भर करते इसलिए माता–पिता जितने वर्ष जियेंगे उन वषों के हिसाब से मुआवजे की राशि तय की जाएगी।

❖ पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सा सम्बन्धी खर्च

डॉक्टर की फीस, दवाईयों और अस्पताल का खर्चा इसमें शामिल किया जाता है। इसके लिए पैसा लेने के लिए अदालत को इलाज के पर्चे, दवाईयों की रसीदें (बिल) इत्यादि दिखाने पड़ते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिये।

❖ सामान्य क्षतिपूर्ति

- ❖ **पीड़ा एवं दुःख** : चोट लगने के कारण पीड़ित व्यक्ति एवं उसके रिश्तेदारों को जो मानसिक पीड़ा एवं दुख होता है उसके लिए उन्हें यह पैसा दिया जाता है जैसे – अपने बच्चे की मृत्यु हो जाने पर एक माता की मानसिक पीड़ा एवं दुःख।

- ❖ **जीवन में आनन्द की कमी** : जैसे कि चलने या दौड़ने में असमर्थ होना, शादी की सम्भावना कम होना और पति एवं पत्नी की संगति का अभाव।

सम्पति को होने वाली क्षति

अब्दुल एक ठेले पर सन्तरे बेचता था। एक तेज रफ्तार से आती हुई जीप ने उसके ठेले को मारकर गिरा दिया। ठेला टूट गया और सभी सन्तरे नष्ट हो गए। अब्दुल का ठेला 2000/– रूपये का था। ठेले पर 120 सन्तरे थे। सन्तरे 24 रूपये दर्जन थे। अब्दुल को 240 रूपये के सन्तरों का नुकसान हुआ। अब्दुल को 2,240/– रूपये सम्पति के मुआवजे के रूप में मिलेंगे।

ओमप्रकाश हरियाणा की एक सिंचाई नहर के निर्माण कार्य में श्रमिक था। वह 30 रूपये प्रतिदिन कमाता था। उसकी पत्नी शान्ति भी 25 रूपये प्रतिदिन कमाती थी। एक दिन एक बस ने ओमप्रकाश को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया, ओमप्रकाश को बहुत चोटें आईं। उसकी एक बाजू और कुछ पसलियाँ टूट गईं। वह डेढ़ महीने तक काम पर नहीं जा सका। ओमप्रकाश को अस्पताल में भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। उसकी पत्नी शान्ति को अस्पताल में उसकी देखभाल करनी पड़ी। इसलिए वह भी काम पर नहीं जा सकती थी। अस्पताल छोड़ने के बाद भी ओमप्रकाश को सप्ताह में एक बार जांच करवाने जाना पड़ता था।

ओमप्रकाश को कितना मुआवजा मिलेगा ?

उसको मिलने वाले मुआवजे का हिसाब निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है :

30 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से ओमप्रकाश की तीन महीने की आमदनी का नुकसान, 90 x 30 = 2,700 रूपये

25 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शान्ति की 45 दिन की आमदनी का नुकसान, 45 x 25 = 1,125 रूपये

चिकित्सा सम्बन्धी खर्चा (अस्पताल में रहने का और दवाईयों का खर्चा) = 3,500 रूपये

अस्पताल में आने जाने का खर्चा, = 2,000 रूपये

पीड़ा एवं दुःख = 3,500 रूपये

कुल = 12,825 रूपये

ओमप्रकाश को मुआवजे के रूप में 12,825 रूपये मिलेंगे।

अनिवार्य मुआवजा

कोई व्यक्ति मोटर दुर्घटना में स्थायी रूप से अयोग्य हो गया हो या मृत्यु हो गई हो, तो एक निश्चित राशि का मुआवजा जरूर मिलेगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि चालक की गलती थी या नहीं। इसे कहते हैं **''बिना दोष के दायित्व।''**

दोष न होने पर भी दायित्व क्या है ?

दायित्व का अर्थ है किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। मोटर दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और स्थायी अयोग्यता के लिए **मोटर वाहन अधिनियिम** में एक न्यूनतम (कम से कम) राशि अनिवार्य मुआवजे के रूप में निर्धारित की गई है। इस राशि की अदायगी के समय वाहन चालक की असावधानी साबित नहीं करनी पड़ती, न ही यह दिखाना पड़ता है पीड़ित व्यक्ति की कोई गलती थी। इसे वाहन के मालिक का बिना दोष के दायित्व कहा जाता है।

दोष न होने पर दायित्व के अन्तर्गत कितना पैसा दिया जाता है ?

ऐसे मुआवजे की राशि इस प्रकार मिलेगी :

- मृत्यु की स्थिति में मरने वाले के कानूनी वारिसों को 50,000/– रूपये।
- स्थायी अयोग्यता की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को 25,000/–

रूपये।

स्थायी अयोग्यता क्या है ?

स्थायी अयोग्यता का अर्थ है निम्नलिखित प्रकार से स्थायी रूप में घायल हो जाना :

- किसी आँख से हमेशा के लिए दिखाई देना बन्द हो जाना या किसी भी कान से हमेशा के लिए सुनाई देना बन्द हो जाना या हाथों की अँगुलियाँ, पैरों की अँगुलियाँ, हाथों, टांगों या पैरों वगैरह का कट जाना।
- हाथों व पैरों की अँगुलियाँ, हाथ, बाँह, टाँग व पैर इत्यादि को नुकसान पहुँचाना।
- चेहरे और सिर का कुरूप हो जाना।

यह मुआवजा पीड़ित व्यक्ति या मृत्क के वारिसों को शुरू में ही दे दी जाती है, यानि दावे का अंतिम फैसला होने के पहले। **यह मुआवजा केवल मृत्यु या स्थायी अयोग्यता की स्थिति में ही दिया जाता है।**

दोष न होने पर भी दायित्व की स्थिति में वाहन का मालिक या बीमा कम्पनी इस राशि को न देने के लिए कोई कारण नहीं दे सकते। अगर चालक के पास गाड़ी चलाने का लाइसेन्स नहीं है या फिर वह गाड़ी को मालिक की आज्ञा के बिना ही चला रहा था तब भी उसे दोष न होने पर दायित्व के अन्तर्गत मुआवजा

देना पड़ता है। अगर दुर्घटना पीड़ित या मृतक की गलती से हुई है, फिर भी यह मुआवजा दिया जाएगा।

मुआवजा किसे मिलेगा

मुआवजा पाने का अधिकारी कौन है ?

जिसे भी किसी दूसरे के मोटर वाहन के प्रयोग से किसी भी प्रकार की हानि पहुँचे उसे मुआवजा मिलेगा। हानि मतलब शारीरिक चोट या सम्पति को नुकसान। दुर्घटना के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसके वारिसों को मुआवजा मिलेगा।

अनिल सड़क के किनारे चल रहा था और एक मोटर साइकिल वाले ने उसे टक्कर मारी। अनिल के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गयी। क्या अनिल को उसके दाहिने हाथ की हड्डी टूटने पर मुआवजा मिलेगा ?

हाँ। उसको मुआवजा मिलेगा क्योंकि उसे मोटर दुर्घटना से शारीरिक चोट पहुँची है।

सीता : साइकिल रिक्शा पर जा रही थी। एक मोटर साइकिल ने आकर साइकिल रिक्शा को टक्कर मार दी। बहुत सारी चोटों के कारण उसका चेहरा कुरूप हो गया।

क्या चेहरा कुरूप हो जाने के कारण मुआवजा मिलेगा ?

हाँ, चेहरे की कुरूपता भी एक चोट है और इसके लिए चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। कभी–कभी इसके कारण

काम मिलना, शादी होना इत्यादि मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुआवजा मिलेगा।

रंगा एक दफ्तर में चपरासी था। वह साइकिल पर अपने घर जा रहा था। एक जीप ने आकर उसे टक्कर मारी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई।

क्या रंगा की मृत्यु के लिए मुआवजा दिया जाएगा ?

हाँ। मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दोषी को मुआवजा देना पड़ता है। रंगा की मृत्यु से उसके कानूनी वारिसों को जो क्षति एवं हानि हुई है उसके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा।

कानूनी वारिस कौन हैं ?

जो लोग मृतक के स्थान पर मुआवजे का दावा कर सकते हैं वे कानूनी वारिस कहलाते हैं। आमतौर पर ये लोग मृतक पर आश्रित होते हैं यानि वे मरने वाले पर निर्भर थे।

एक पुरूष के कानूनी वारिस होंगे :

- ❖ उसके माता–पिता
- ❖ उसकी विधवा
- ❖ उसके बच्चे

एक स्त्री के कानूनी वारिस होंगे :

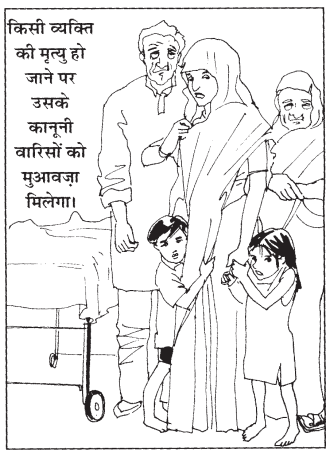

- पति
- बच्चे

वे लोग जो मृतक पर आश्रित नहीं है वह उसके कानूनी वारिस नहीं माने जाते। जैसे कि :

- बालिग पुत्र जो कमा रहा हो
- विवाहित पुत्रियाँ
- विधवा जो पुनर्विवाह कर ले

मृतक व्यक्ति के अन्य रिश्तेदार भी उसके कानूनी वारिस माने जा सकते हैं अगर वे यह साबित कर दें कि वे मृतक पर आश्रित थे।

नत्थू एक मोटर दुर्घटना में मारा गया। वह अपने पीछे अपनी माँ, पत्नी और बेटा छोड़ गया। ये सब उसके कानूनी वारिस हैं इसलिए मुआवजा पाने के अधिकारी होंगे। इनके अलावा उसकी माँ की बहन (मौसी) भी उनके साथ रहती थी और नत्थू पर आश्रित थी। उसका नाम नत्थू के राशन कार्ड में भी लिखा हुआ था। आमतौर पर माँ की बहन मुआवजे की हकदार नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मौसी नत्थू पर आश्रित पायी गई और मुआवजा पाने की हकदार थी।

अख्तर अपने तीन बालिग पुत्रों के साथ रहता था। उसके

सभी पुत्र कमाते थे। उसकी एक विवाहित पुत्री थी, सायिरा। सायिरा के पति ने उसे छोड़ दिया है और वह भी अपने पिता अख्तर के साथ रहती है। एक दिन अख्तर को एक लॉरी ने टक्कर मार दी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उसके पुत्र चाहते थे कि अख्तर की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे की सारी रकम उन्हें मिल जाये और सायिरा को कुछ न दिया जाए। सायिरा विवाहित है क्या फिर भी उसे मुआवजा मिलेगा ?

हाँ। उसे मुआवजा मिलेगा। वास्तव में सायिरा अधिकांश राशि की हकदार होगी क्योंकि केवल वही अख्तर पर आश्रित थी। अख्तर के सभी पुत्र कमाते हैं और उस पर निर्भर नहीं थे।

मीना अपने कार में अपने माता–पिता को खरीददारी के लिए लेकर जा रही थी। एक लालबत्ती पर एक बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। कार को बहुत नुकसान हुआ लेकिन सौभाग्य से किसी को कोई चोट नहीं लगी। क्या मीना को कार के नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा जबकि किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई?

मोटर दुर्घटना से किसी की सम्पति को नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है।

मुआवजा कौन देगा

पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने की जिम्मेदारी किसकी है?

जिसकी गलती के कारण दुर्घटना होती है उसे मुआवजा

देना पड़ता है।

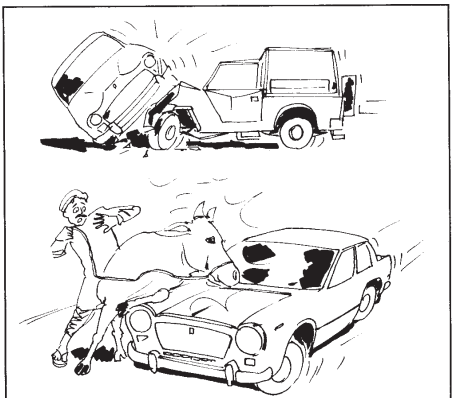
सम्पत्ति को नुकसान पहुँचने पर मुआवज़ा दिया जाता है

पप्पू एक स्कूटर चला रहा था और उसने चाची को टक्कर मार दी। चाची की आँख की रोशनी चली गई। पप्पू ने कुछ भी पैसे देने से मना कर दिया। उसका कहना है कि वह केवल 2,000/– रूपये महीना कमाता है और उसके पास चाची को देने के लिए पैसे भी नहीं हैं।

अगर पप्पू के स्कूटर का बीमा हुआ है तो बीमा कम्पनी को पप्पू की ओर से मुआवजे का पैसा देना ही पड़ेगा। अगर बीमा नहीं कराया गया तो पप्पू को चाची को स्वयं ही पैसा देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो अदालत उसकी सम्पति को कुर्क करवा सकती है। अगर पप्पू के पास कोई सम्पति नहीं है तो उसे जेल जाना पड़ेगा।

चन्दू : ''मैं सड़क के किनारे चल रहा था। अली अपनी कार चला रहा था और उसने मुझे टक्कर मारी। मैं बुरी तरह से घायल हो गया।'' मुझे कौन मुआवजा देगा ?

अली ही इस दुर्घटना का जिम्मेदार है इसलिए मुआवजा अदा करने का मुख्य दायित्व भी उसी पर होगा।

चन्दू : ''जब मैंने अली को पैसे के लिए कहा तो अली ने मुझसे कहा कि उसकी बीमा कम्पनी के पास जाकर मुआवजा ले लूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।'' मुझे मुआवजा देने की जिम्मेवारी किसकी है, बीमा कम्पनी की या अली की ?

अली ही आपको मुआवजा देने के लिये जिम्मेदार है।

फिर अली ने अपनी जिम्मेदारी को बीमा कम्पनी पर क्यों लाद दिया ?

वाहन का अन्य लोगों के प्रति जोखिम के लिए बीमा करवाना आवश्यक है और यह जिम्मेदारी वाहन के मालिक की है। अगर किसी वाहन से किसी को कोई चोट पहुँचती है या उसकी सम्पति को कोई नुकसान पहुँचता है तो बीमा कम्पनी उस वाहन के मालिक की ओर से मुआवजा देगी।

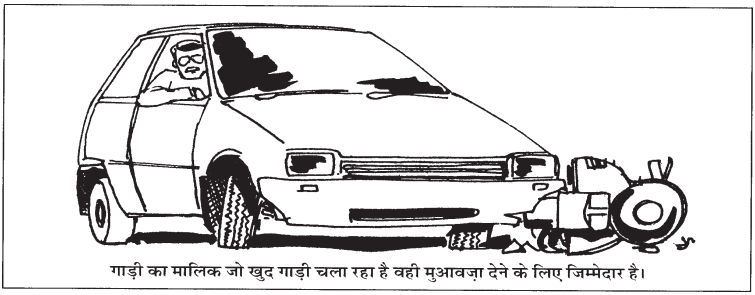

गाड़ी का मालिक जो खुद गाड़ी चला रहा है वही मुआवज़ा देने के लिए जिम्मेदार है।

पीड़ित व्यक्ति को चालक और वाहन के मालिक के खिलाफ दावा करना चाहिए। बीमा कम्पनी के बारे में जानकारी देना वाहन के मालिक की जिम्मेदारी है।

श्यामलाल दिल्ली परिवहन निगम में बस चालक है। एक दिन उसकी बस ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर को प्रताप चला रहा था। प्रताप को बहुत चोटें आई। प्रताप को मुआवजा कौन देगा ?

प्रताप को मुआवजा दिल्ली परिवहन निगम से मिलेगा। दिल्ली परिवहन निगम ही श्यामलाल से बस चलवाती है। श्यामलाल दिल्ली परिवहन निगम का प्रतिनिधि है। इसलिए प्रताप को मुआवजा देना दिल्ली परिवहन निगम का दायित्व है।

क्या चालक पूरी तरह से छूट जाएगा ?

चालक के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। उसे कैद और जुर्माना होगा।

बाबूलाल अनीता का ड्राईवर (चालक) है। एक रात को वह अनीता की मोटर कार चला रहा था। उसकी एक स्कूटर से टक्कर हो गई। स्कूटर पर जाने वाला व्यक्ति राजा घायल हो गया। अनीता का कहना है कि बाबूलाल उससे पूछे बिना ही मोटर कार चला रहा था। इसलिए वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

चालक बाबूलाल ही राजा को मुआवजा देगा। दुर्घटना के समय बाबूलाल गाड़ी को अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए चला रहा था। गाड़ी ले जाने से पहले उसने अनीता से पूछा भी नहीं था। इसलिए अनीता जिम्मेदार नहीं है।

रीता ने अपनी मोटर कार मरम्मत व सर्विस के लिए कारखाने में दी। कारखाने का एक कारीगर मोटर कार की जाँच करने के लिए उसे चलाकर सड़क पर ले गया। और उसने एक मोटर साइकिल को टक्कर मारी। वेणू और उसकी पत्नी चित्रा गिर गये और उन्हें चोट आई। कारखाने के कारीगर द्वारा दुर्घटना होने पर वेणु और चित्रा को मुआवजा कौन देगा ?

रीता यानि मोटर कार के मालिक को उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। रीता ने मोटर कार मरम्मत के लिए कारखाने में दी तो उसे पता था कि कारीगर उसे चलाकर देखेगा। इसलिए यह समझा जाता है कि कारीगर गाड़ी को रीता से पूछकर चला रहा था।

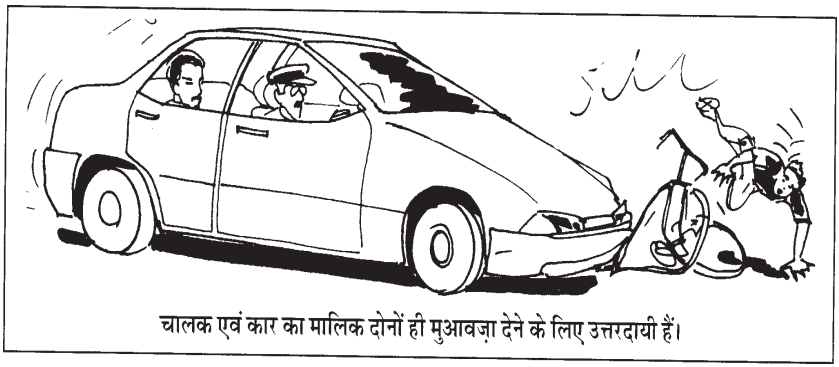

चालक एवं कार का मालिक दोनों ही मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी हैं।

एक दिन कमलेश के दोस्त ने उसकी मोटर कार मांग ली। वापिस आते समय उसने खालिद की साइकिल रिक्शा को टक्कर मार दी। साइकिल रिक्शा टूट गई और खालिद को भी काफी

चोट आई। खालिद को मुआवजा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी, कमलेश की या उसके दोस्त की ?

खालिद को मुआवजा देने जिम्मेदारी कमलेश की होगी क्योंकि दुर्घटना उसकी गाड़ी से हुई थी। उसके दोस्त ने वह गाड़ी उससे मांग कर ली थी।

चोरी की मोटरकार से दुर्घटना हो जाने के कारण मालिक को मुआवजा नहीं देना होगा, बशर्ते चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई हो।

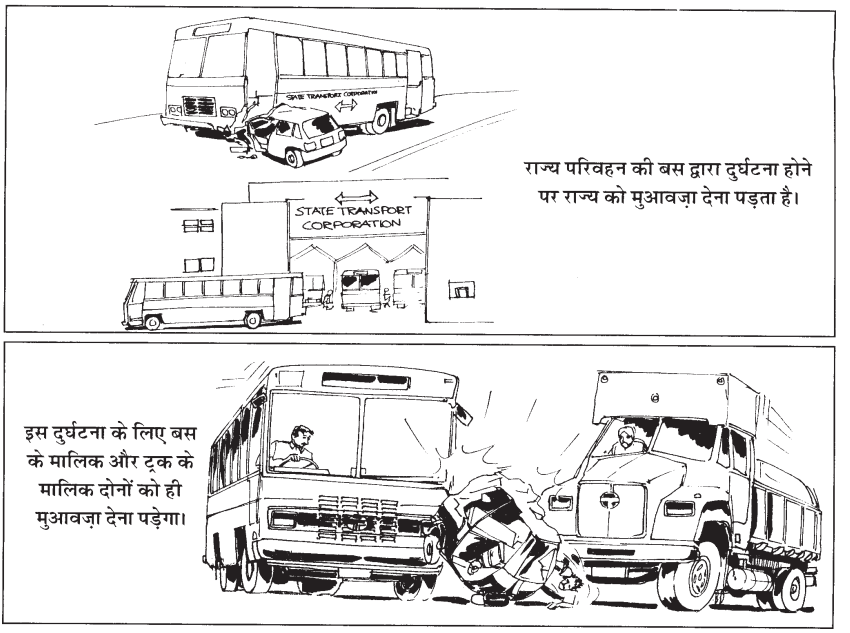

मारकर भाग जाना

कभी–कभी यह जानना सम्भव नहीं होता कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन था, क्योंकि चालक मार कर भाग जाता है और गाड़ी या चालक की कोई जानकारी नहीं मिल पाती।

सोहन मोटर साइकिल पर अपने घर जा रहा था। उसे किसी वाहन ने आकर टक्कर मारी और वह बेहोश होकर गिर गया। जिसने उसे टक्कर मारी वह भाग गया। कोई राहगीर उसे अस्पताल ले गया। किसी ने दुर्घटना को नहीं देखा इसलिए किसी को नहीं पता कि सोहन को किसने मारा।

क्या सोहन को मुआवजा मिलेगा जबकि उसे यह नहीं मालूम कि दुर्घटना किसने की ?

हाँ, सोहन को इस दुर्घटना के लिए मुआवजा मिलेगा। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को ''मारकर भाग जाने वाली'' (''हिट एन्ड रन'') दुर्घटनायें कहते हैं।

अगर दुर्घटना करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई तो सोहन को मुआवजा कौन देगा ?

क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता इसलिए सरकार इन दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों को मुआवजे के रूप में एक निश्चित राशि देकर उनकी सहायता करती है। इसे 'सोलेशियम' कहते हैं अर्थात्

सांत्वना के लिए दिया गया मुआवजा।

मारकर भाग जाने वाली दुर्घटनाओं के लिए एक सांत्वना (सोलेशियम) भत्ता तय किया गया है। मृत्यु की स्थिति में उस व्यक्ति के परिवार को 25,000/– रूपये मिलते हैं और गहरी चोट आने पर उस व्यक्ति को 12,500 रूपये मिलते हैं।

'गहरी चोट' का मतलब है :–

- किसी भी आँख से हमेशा के लिए दिखाई देना बन्द हो जाना, या
- किसी भी कान से हमेशा के लिए सुनाई देना बन्द हो जाना, या
- किसी भी जोड़ या हाथ–पाँव का कट जाना, या
- किसी भी जोड़ या हिस्से को हमेशा के लिए हानि पहुँचाना, या
- हमेशा के लिए सिर या चेहरे का कुरूप हो जाना, या
- किसी हड्डी या दाँत का टूट जाना या अपनी जगह से हिल जाना, या
- ऐसी कोई भी चोट जिससे आदमी की जिन्दगी को खतरा हो, या
- ऐसी कोई भी चोट जो 20 दिन से अधिक चले और

जिससे व्यक्ति को बहुत दर्द हो और वह अपने रोजमर्रा के काम भी ना कर सके।

मारकर भाग जाने वाली दुर्घटना की पुलिस के पास शीघ्र ही शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

क्या मारकर भाग जाने की स्थिति में मुआवजे का दावा क्लेम ट्राइब्यूनल में दर्ज किया जाएगा ?

नहीं। मारकर भाग जाने की स्थिति में मुआवजे की अर्जी **जिला मजिस्ट्रेट** के पास दाखिल की जाती है। यह अर्जी दुर्घटना के 6 महीनों के अन्दर–अन्दर दाखिल हो जानी चाहिए। मुआवजा प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दुर्घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके पुलिस को शिकायत (कम्पलेन्ट) की जाए।

ऐसी स्थिति में मुआवजा प्राप्त करने के बाद भी यदि पीड़ित व्यक्ति को चालक या वाहन के बारे में पता चल जाता है तो क्लेम ट्राइब्यूनल में दावा दर्ज कर सकता है। क्लेम ट्राइब्यूनल पीड़ित व्यक्ति के लिए जो कुल मुआवजे की राशि निर्धारित करेगी उसमें से ''मारकर भाग जाने'' के लिए सांत्वना भत्ते को घटा देगी।

बीमा

बीमा क्या है ?

बीमा करने पर, किसी दुर्घटना में मृत्यु, चोट या सम्पति के लिये दिया जाने वाला मुआवजा बीमा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा न कि दोषी व्यक्ति द्वारा। इसका अर्थ है कि वास्तव में मुआवजा देने की जिसकी जिम्मेदारी होती है उससे वह जिम्मेदारी कोई दूसरा ले लेता है।

बीमा कैसे होता है ?

बीमा कम्पनी को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देनी पड़ती है। इसे प्रीमियम (बीमे की किश्त) कहते हैं। जब कभी एग्रीमेन्ट का समय समाप्त हो जाता है तो उसे फिर से करना पड़ता है। नहीं तो, बीमा कम्पनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। बीमे की कई शर्ते होती हैं। उन्हें तोड़ने से बीमा कम्पनी मुआवजे की राशि देने से इन्कार कर सकती है तो मालिक को ही मुआवजा देना पड़ेगा।

क्या बीमा करवाना जरूरी है ?

हाँ, हर वाहन के मालिक के लिए यह जरूरी है कि वाहन को प्रयोग में लाने से पहले अन्य लोगों के लिए उस वाहन का बीमा करवा लें। सरकार को अपनी गाड़ियों का बीमा नहीं कराना

पड़ता। सरकारी वाहनों से होने वाली दुर्घटना का मुआवजा एक 'फंड' में से दिया जाता है।

अगर किसी गाड़ी का बीमा नहीं कराया जाता तो क्या होता है ?

अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी गाड़ी को चलाते हुए पकड़ा जाता है जिसका बीमा नहीं हुआ है तो उसे तीन महीने की कैद हो सकती है या 1,000/– रूपये जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं।

अगर किसी ऐसे वाहन से दुर्घटना होती है जिसका बीमा नहीं कराया गया तो क्या पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिलगा ?

अगर वाहन का बीमा नहीं हुआ है तब भी वाहन के मालिक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे। पीड़ित व्यक्ति को मालिक और बीमा कम्पनी दोनों के खिलाफ दावा डालना चाहिए। अगर पीड़ित व्यक्ति को बीमा कम्पनी का नाम मालूम नहीं है तो उसे अपने दावे में यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। अदालत ऐसे में मालिक को आदेश देती है कि बीमा कम्पनी का नाम, पता एवं अन्य विवरण दे।

मुआवजे का दावा

मुआवजा कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

आपको अपने क्षेत्र की **मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्राइब्यूनल** (MACT) में दावा करना पड़ेगा, यानि एक अर्जी दाखिल करनी होगी।

क्लेम ट्राइब्यूनल क्या है ?

सरकार ने कुछ विशेष अदालतें बनाई हैं। ये अदालतें केवल मोटर दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मुआवजे के लिये किये गये दावों की सुनवाई ही करती हैं। ये अदालतें आम तौर से वहीं होती हैं जहाँ हमारी जिला अदालतें होती हैं। प्रत्येक जिले में कम से कम एक क्लेम ट्राइब्यूनल अवश्य होता है।

क्या मैं सिविल (दीवानी) अदालत में दावा दर्ज कर सकता हूँ?

नहीं। मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित मुआवजे का दावा केवल क्लेम ट्राइब्यूनल में ही दर्ज कर सकते हैं।

किस क्लेम ट्राइब्यूनल में दावा कर सकते हैं ?

आप उस क्षेत्र की ट्राइब्यूनल में दावा कर सकते हो;

- जहाँ दुर्घटना हुई है, या
- जहाँ आप रहते हो, या
- जहाँ आप काम करते हो, या
- जहाँ दूसरा पक्ष (जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है) रहता हो।

मुआवजे के लिए दावा कौन कर सकता है ?

- ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे मोटर दुर्घटना से कोई चोट पहुँची हो।
- जिसकी सम्पति को नुकसान पहुँचा हो।
- अगर मोटर दुर्घटना में किसी की मुत्यु हो गई है तो उसके कानूनी वारिस।
- घायल व्यक्ति या कानूनी वारिस का प्रतिनिधि (एजेन्ट) जिसे यह अधिकार दिया गया हो।

किसी मृतक रिश्तेदार के लिए मुआवजे का दावा सभी कानूनी वारिसों को एक साथ मिलकर करना पड़ता है। अगर कोई कानूनी वारिस क्लेम के दावे में साथ नहीं मिलता तो उसे प्रतिवादी (विरोधी पक्ष) बनाया जाता है। अर्थात् उसका विपक्षी पार्टी के तौर पर मुकद्दमें में शामिल किया जाएगा।

जिस दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी को कोई शारीरिक चोट पहुँचे, उसकी सूचना पुलिस द्वारा क्लेम ट्राइब्यूनल को भेजी जानी चाहिये। यह दुर्घटना के 30 दिन के अन्दर–अन्दर होना चाहिये।

मुआवजे के दावे के लिए प्रार्थना पत्र में क्या लिखना होगा?

दावे के प्रार्थना पत्र का प्रारूप कानून में दिया गया है, जिसमें निम्न बातें हैं :–

- पीड़ित व्यक्ति का नाम, आयु, व्यवसाय

- ❖ पीड़ित व्यक्ति की आय
- ❖ दुर्घटना कब और कहाँ हुई
- ❖ दुर्घटना का स्थान किस पुलिस चौकी में आता है
- ❖ एफ.आई.आर. का नम्बर
- ❖ कौन सा वाहन था और उसका नम्बर क्या था
- ❖ चालक, मालिक और बीमा कम्पनी का नाम
- ❖ किस प्रकार की चोटें लगी और उनकी चिकित्सा कहाँ हुई
- ❖ कितना मुआवजा मांगा है और किन कारणों से मांगा है
- ❖ अधिकतर राज्यों में क्लेम का एक प्रपत्र (फॉर्म) होता है जिसमें यह सारी जानकारी भर कर देनी होती है।

मुआवजे के लिए दावा कब करना चाहिए ?

दुर्घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके मुआवजे का दावा दाखिल कर देना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन इसे जल्द से जल्द कर देना ही अच्छा होता है। देर हो जाने पर हमें ट्राइब्यूनल को यह बताना पड़ता है कि देर क्यों हो गई।

अगर दण्ड (फौजदारी) न्यायाल दुर्घटना करने वाले चालक को दोषी घोषित न करें तो क्या मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा?

यदि दण्ड न्यायालय चालक को दोषी नहीं ठहराती तब भी आपको मुआवजा मिल सकता है। दण्ड न्यायालय के फैसले का क्लेम ट्रायब्यूनल के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता।

क्लेम ट्राइब्यूनल में मुआवजे का दावा डालने के बाद क्या होता है ?

ट्राइब्यूनल वाहन के मालिक और बीमा कम्पनी को नोटिस देती है। ट्राइब्यूनल दोनों पक्षों की सुनवाई करके स्वयं मुआवजे के क्लेम की परीक्षा करेगी। तब वह यह निर्णय लेती है कि मुआवजे में कितनी राशि दी जानी चाहिए, किसे मुआवजा मिलना चाहिए और कौन वह मुआवजा देगा। ट्राइब्यूनल इस बारे में स्पष्ट कर देती है कि मुआवजे की कितनी राशि चालक देगा और कितनी मालिक व बीमा कम्पनी देगी।

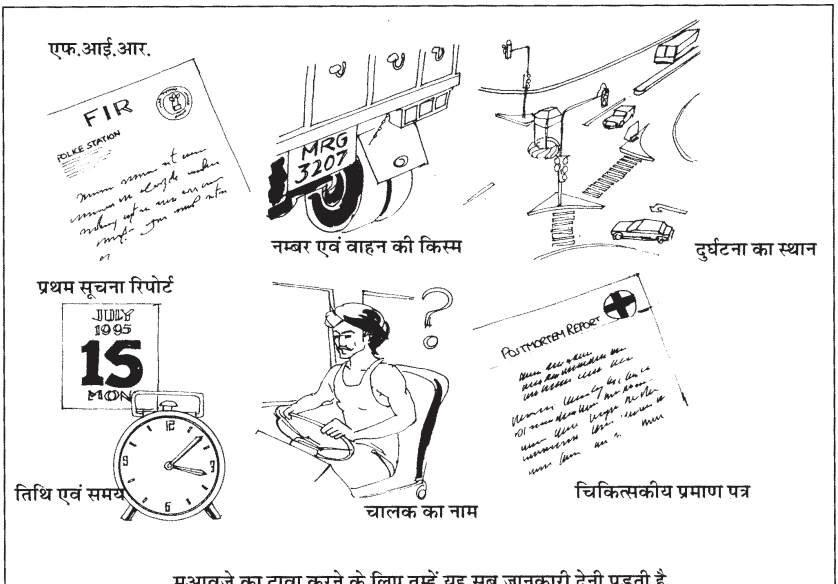

मुआवजे का दावा करने के लिए तुम्हें यह सब जानकारी देनी पड़ती है

ट्राइब्यूनल के निर्णय के बाद क्या होता है ?

निर्णय के 15 दिन के अन्दर–अन्दर फैसले की एक–एक प्रति सभी पक्षों को भेज दी जाती है। जिस व्यक्ति ने मुआवजे की राशि का भुगतान करना होता है उसे फैसले के 30 दिन के अन्दर–अन्दर वह राशि ट्राइब्यूनल में जमा करा देनी चाहिए। मुआवजे की राशि दावा करने वाले के नाम 'चेक' द्वारा दी जाती है। उसे सीधा न्यायाधीश (जज) के सामने लेना चाहिए और उसे प्राप्त करने का बयान देना चाहिए। कोई आपका चेक रोक ले या न दे, तो जज को यह बात बिना संकोच के बतानी चाहिए।

अगर कोई ट्राइब्यूनल के फैसले से सन्तुष्ट नहीं है तो क्लेम ट्राइब्यूनल के फैसले के 90 दिन के अन्दर–अन्दर उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) में अपील की जा सकती है।

लोक अदालत

कुछ राज्यों में झगड़ों के शीघ्र निबटारे के लिए नियमित रूप से 'लोक अदालतें' बिठाई हैं। लोक अदालत के दिन दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। दोनों में समझौता कराने के लिए एक प्रयास किया जाता है क्योंकि लम्बी मुकदमेबाजी से किसी को कोई लाभ नहीं होता। इसमें किसी प्रकार की औपचारिक कार्यप्रणाली का पालन नहीं किया जाता, सिर्फ आमने–सामने समझौते की बातचीत होती है।

अगर दोनों पक्ष समझौते के लिए सहमत होते हैं तो दावे

को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर वे समझौते के लिए सहमत नहीं होते हैं तो दावे को ट्राइब्यूनल के पास वापिस भेज दिया जाता है। लोक अदालत में दावे का फैसला कराने के लिए एक फॉर्म भरकर देना पड़ता है। यह फॉर्म तब भर कर देना पड़ता है जब लोक अदालत के लिए तारीख की घोषणा हो जाती है। इस फॉर्म को उस राज्य के कानूनी सहायता बोर्ड के पास जमा कराना होता है।

हालांकि लोक अदालत में दावे का फैसला बहुत जल्द हो जाता है लेकिन पैसे कम भी मिल सकते हैं। यह दावा करने वाले पक्ष पर निर्भर करता है कि वह समझौते में तय की गई रकम स्वीकार करे या नहीं।

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्त्रोत : श्री नई दिल्ली